

[फॉर्म III]
(नियम 11 देखें)
(धारा 22)

भारत स्थित कंपनी द्वारा बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने और बैंकिंग व्यवसाय शुरू किए जा सकने हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म

पता
दिनांक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग,
भारतीय रिजर्व बैंक,
.....
.....

महोदय,

बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए आवेदन

हम बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 की धारा 22 के संदर्भ में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। हम उक्त उद्देश्य के लिए आवश्यक जानकारी निर्धारित फॉर्म में नीचे प्रस्तुत करते हैं।

भवदीय ,

हस्ताक्षर

1. कंपनी का नाम।
2. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का स्थान।
3. कंपनी सार्वजनिक है या निजी।
4. निगमन की तारीख।

5. पिछला आवेदन: (इस संबंध में रिज़र्व बैंक को पहले किए गए किसी भी आवेदन के विवरण दें)।

6. प्रबंधन:

क. निदेशकों के नाम, व्यापार और पते, प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की राशि और उनमें से प्रत्येक के बैंकों के नाम दें।

ख. प्रस्तावित मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम, उनकी योग्यता, अनुभव, आयु और प्रस्तावित पारिश्रमिक की सूचना दें।

7. कंपनी के प्रवर्तन हेतु विस्तार से कारण बताएं और नीचे दिए गए सांख्यिकीय और अन्य डेटा दें, जो उस क्षेत्र के संबंध में एकत्र किए जा सकते हैं, जहां कंपनी सेवा प्रदान करने का इरादा रखती है:

I. व्यवसाय की प्रस्तावित जगह के परिचालन क्षेत्र की आबादी।

II. व्यवसाय हेतु प्रस्तावित स्थान के परिचालन क्षेत्र के कृषि, खनिज और औद्योगिक उत्पादन एवं आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार है:

वस्तु	उत्पादन		आयात		निर्यात	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

III. यदि कृषि, खनिज या औद्योगिक विकास के लिए कोई योजनाएं हैं, तो वर्तमान उत्पादन, आयात और निर्यात की मात्रा और मूल्य पर उसका और उसके संभावित प्रभाव विवरण दें।

IV यदि मौजूदा बैंकिंग सुविधाओं को अपर्याप्त माना जाता है, तो कारण दें।

V संभावनाएं: निम्नलिखित के अनुसार कंपनी उस व्यवसाय का आकलन प्रस्तुत करे, जो 12 महीने के भीतर वह व्यवसाय के प्रस्तावित स्थान पर आकर्षित करने की अपेक्षा करती है।

(i) जमा. राशि

हजार रुपये में: विभिन्न प्रकार के जमा पर प्रस्तावित प्रभार दरें
न्यूनतम अधिकतम

(ii) अग्रिम. राशि

हजार रुपये में: विभिन्न प्रकार के अग्रिम पर प्रस्तावित प्रभार दरें
न्यूनतम अधिकतम

8. ज्ञापन एवं संस्था के अंतर्नियम की एक अद्यतन प्रति और विवरण- पुस्तिका की एक प्रति अग्रेषित करें (अंग्रेजी में प्रमाणित अनुवाद के साथ, अगर उस भाषा में नहीं है)।

9. बताएं कि क्या कंपनी धारा 11 के उपधारा (3) में निर्धारित शर्तों को पूरा करती है, और क्या यह रिजर्व बैंक को कंपनी की पुस्तकों के निरीक्षण के माध्यम से स्वयं को संतुष्ट होने देने के लिए सहमत है अन्यथा क्या कंपनी द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा किया जा रहा है।

10. कोई अतिरिक्त तथ्य जो कंपनी अपने आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है।

एन.बी. - (1) यदि कोई आवेदन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बेंगलोर या किसी अन्य स्थान पर बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए है, जहां बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भी कार्यालय स्थित है, वहां मद सं (7) (i) (II) और (III) के लिए अपेक्षित विवरणों को उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है।

(2) यदि कोई कंपनी किसी भी मद के संबंध में पूर्ण विवरण देने में असमर्थ या अनिच्छुक है, तो चूक के कारण दिए जा सकते हैं।

(3) यदि भारतीय रिजर्व बैंक को पहले आवेदन जमा कर दिया गया है, तो मद 2, 3, 4, 6, 7 और 8 के तहत जानकारी तब तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि अंतिम आवेदन के बाद कोई बदलाव न हो।
